राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,
दूरभाष 0141–2716421 Email- shgcell.we@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ19()/we/wshgi/B-A.-120/PIGWEES/2019–20/ 35030 जयपुर, दिनांक 13/11/2021

"इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (संशोधित प्रावधान)"

इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना एवं मार्गदर्शिका में निम्नानुसार संशोधन किए जाते है :–

योजना में संशोधन

1. **बिन्दु संख्या 4. पात्रता की शर्तें** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है–
   1. व्यक्तिगत महिला आवेदक – न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं राजस्थान की मूल निवासी हो।
   2. महिला स्वयं सहायता समूह – राज्य सरकार के किसी विभाग से जुड़े हो।
   3. महिला स्वयं सहायता समूहों के समूह (क्लस्टर/फेडरेशन) – नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के तहत् पंजीकृत हो।
   4. प्रोपराईटरशिप फर्म – प्रोपराईटर महिला हो।
   5. पार्टनरशिप फर्म – सभी पार्टनर महिलाऐं हो।
   6. लिमिटेड लायब्लिटी पार्टनरशिप फर्म – सभी पार्टनर महिलाऐं हो।
   7. वन पर्सन कम्पनी – निदेशक महिला हो तथा सम्पूर्ण शेयर होल्डिंग महिला के नाम हो।
   8. प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी – 75 % शेयर महिलाओं के नाम हो तथा कम्पनी के निदेशक मण्डल में न्यूनतम 2 निदेशक महिला हो।
   9. महिला किसी एक स्वयं सहायता समूह/ स्वयं सहायता समूह के संघ/फर्म/कम्पनी से जुडकर एक बार ही ऋण अनुदान का लाभ ले सकती है।
2. बिन्दु संख्या 5. ऋणदात्री संस्थाऐं में नया अनुच्छेद 5 (vi) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :–
   5 (vi) केन्द्रीय सहकारी बैंक।
3. बिन्दु संख्या 7 (i) ऋण सीमा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है –
   इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु संयंत्र एवं मशीन, वर्कशेड/भवन,फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए अधिकतम 1 करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण का स्वरूप प्रोजेक्ट की आवश्यकता अनुसार कम्पोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी (सी.सी. लिमिट सहित) होगा। ऋण सीमा अलग अलग आवेदक श्रेणीवार निम्नानुसार होगी–

क्र.स.	आवेदक श्रेणी	अधिकतम ऋण राशि
1	1 व्यक्तिगत महिला आवेदक 2. महिला स्वयं सहायता समूह 3. प्रोपराईटरशिप फर्म 4. पार्टनरशिप फर्म 6. लिमिटेड लायब्लिटी पार्टनरशिप फर्म 7. वन पर्सन कम्पनी 8. प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी	50 लाख रू. तक
2	स्वयं सहायता समूहों का समूह (क्लस्टर या फेडरेशन)	1 करोड़ रू. तक

4. बिन्दु संख्या 9 निर्बन्ध एवं शर्ते अनुच्छेद (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(ii) राशि रुपये 50000/– तक के परियोजना प्रस्ताव की स्थिति में आवेदक को स्वयं के अंशदान के रूप में कोई निवेश नहीं करना होगा। राशि रुपये 50001/– से 10 लाख तक के परियोजना प्रस्ताव की स्थिति में 5% तथा राशि रुपये 10 लाख से अधिक के परियोजना प्रस्ताव की स्थिति में 10% राशि का निवेश आवेदक द्वारा स्वंय के अंशदान के रुप में किया जावेगा। बैंक/ऋणदात्री संस्था द्वारा ऋण स्वीकृति के उपरान्त उक्त राशि संबंधित बैंक/ऋणदात्री संस्था में आवेदक को जमा करवानी होगी उक्त के उपरान्त ही ऋण वितरण तथा ऋण अनुदान अंतरण की कार्यवाही की जायेगी।

आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं हो एवं किसी भी एक स्वयं सहायता समूह/ स्वयं सहायता समूह के संघ/फर्म/कम्पनी से जुडकर एक बार ही ऋण अनुदान का लाभ ले सकता है।

योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन

5. बिन्दु संख्या 3 संस्थागत आवेदकों हेतु पात्रता शर्तें शीर्षक को "महिला स्वयं सहायता समूह/महिला स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर/ महिला स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन हेतु पात्रता शर्तें" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

6. बिन्दु संख्या 5 (vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है –

आवेदक द्वारा राशि रुपये 50000/– तक के परियोजना प्रस्ताव की स्थिति में स्वयं के अंशदान के रूप में कोई राशि जमा नहीं करानी है। राशि रुपये 50000 से अधिक तथा 10 लाख तक के परियोजना प्रस्ताव की 5 % तथा राशि रुपये 10 लाख से अधिक राशि के परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि ऋण स्वीकृति के उपरान्त संबंधित बैंक/ऋणदात्री संस्था को स्वयं के अंशदान के रुप में जमा करवाई जायेगी। उक्त राशि जमा करवाये जाने के उपरान्त ही ऋण वितरण तथा ऋण अनुदान अंतरण की कार्यवाही की जायेगी।

7. बिन्दु संख्या 8 (ख) में "ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी. लिमिट सहित) होगा" को **"ऋण का स्वरूप प्रोजेक्ट की आवश्यकता अनुसार कम्पोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी (सी.सी. लिमिट सहित) होगा"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

8. बिन्दु संख्या 5 (vii) में निम्नानुसार 2 उपबिन्दु और जोड़े जाते है :–

अ. बैंक द्वारा लाभार्थी को प्रथम किश्त के रूप में संवितरित (Disburse) की गई ऋण राशि बैंक द्वारा क्लेम की गई ऋण अनुदान राशि से कम नहीं होनी चाहिए।

ब. योजनान्तर्गत कार्यशील पूंजी के रूप में स्वीकृत ऋण राशि के उपभोग का स्तर प्रथम तीन वर्ष तक वर्ष में एक बार 90 प्रतिशत तक पहुंचना आवश्यक होगा तथा प्रथम तीन वर्षो में कार्यशील पूंजी का औसतन उपयोग 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

उक्त संशोधन, आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माने जाएगें।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102104673 दिनांक 09.11.2021 के क्रम में जारी किए जाते है।

(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ19( )/we/wshgi/B-A.-120/PIGWEES/2019–20/3503/-178 **जयपुर, दिनांक** 13/11/2021

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीया राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
10. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयोजक,राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान जयपुर।
12. सम्भागीय आयुक्त, समस्त, राजस्थान।
13. जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
15. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
16. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, समस्त जिले।
17. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (SHG)
महिला अधिकारिता